



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062024-254695
CG-DL-E-13062024-254695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2024/ज्येष्ठ 23, 1946

No. 299]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2024/JYAISHTHA 23, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

सा.का.नि. 320(अ).—केन्द्रीय सरकार, मध्यक्ता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 32 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त भारतीय मध्यक्ता परिषद् (अध्यक्ष और सदस्य, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) जब तक कि इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से मध्यक्ता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 31 के अधीन स्थापित भारतीय मध्यक्ता परिषद् अभिप्रेत है ;

- (ग) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 32 के अधीन नियुक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
 (घ) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 32 के अधीन नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है ।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें—(1) पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष या सदस्यों का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य परिषद् में अपना पद छोड़ने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान से पूर्व सिवाय केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के कोई प्राइवेट नियोजन स्वीकार नहीं करेगा ।

4. वेतन—(1) अध्यक्ष को 2,25,000 रुपए (नियत) (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 17) का वेतनमान और अन्य भत्ते तथा फायदे प्राप्त करने, जो केंद्रीय सरकार के उसी वेतन में पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय हैं या वैकल्पिक रूप से वह भत्तों सहित प्रतिमास 5,62,500 रुपए का वैकल्पिक वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य को 2,05,400-2,24,400 रुपए (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 16) का वेतनमान और अन्य भत्ते तथा फायदे प्राप्त करने, जो केंद्रीय सरकार के उसी वेतन में पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय हैं या वैकल्पिक रूप से वह भत्तों सहित प्रतिमास 5,00,000 रुपए का वैकल्पिक वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(3) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, यथास्थिति, वेतन या समेकित वेतन में से उसकी पेंशन की सकल रकम को घटा दिया जाएगा ।

5. छुट्टी—(1) अध्यक्ष या सदस्य सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य किसी कलेंडर वर्ष में आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी का हकदार होगा ।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(4) अध्यक्ष या सदस्य इस शर्त के अधीन रहते हुए उनके खाते में बकाया अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी नकदीकरण का हकदार होंगे, कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम सम्मिलित है, किसी भी दशा में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगा ।

6. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी—सदस्य को छुट्टी मंजूर करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा और अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी ।

7. यात्रा भत्ता—(1) अध्यक्ष दौरे या स्थानान्तरण पर (जिसके अंतर्गत परिषद् में सम्मिलित होने के लिए की गई यात्रा या परिषद् में उसकी पदावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर को अग्रसर होने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है), यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वैयक्तिक माल-असवाब के परिवहन के लिए उसी दर का हकदार होगा, जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय है ।

(2) सदस्य दौरे या स्थानान्तरण पर (जिसके अंतर्गत परिषद् में सम्मिलित होने के लिए की गई यात्रा या परिषद् में उसकी पदावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर को अग्रसर होने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है), यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वैयक्तिक माल-असवाब के परिवहन के लिए उसी दर का हकदार होगा, जो भारत सरकार के समतुल्य श्रेणी के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

8. विदेश भ्रमण—केंद्रीय सरकार अध्यक्ष और सदस्यों के विदेश भ्रमणों को मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगी ।

9. छुट्टी रियायत यात्रा—(1) अध्यक्ष छुट्टी यात्रा रियायत की उसी दर का हकदार होगा, जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय है ।

(2) सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत की उसी दर का हकदार होगा, जो भारत सरकार के समतुल्य श्रेणी के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है।

10. मकान किराया भत्ता—अध्यक्ष और सदस्य, जिन्होंने क्रमशः वेतनमान 17 और 16 का विकल्प लिया है, उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जो समान वेतनमान में पदधारण करने वाले केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है :

परंतु ऐसा अध्यक्ष या सदस्य उस दशा में मकान किराया भत्ता का पात्र नहीं होगा, यदि वह साधारण पूल आवास का हकदार है और उसे आबंटित सरकारी आवास के अधिभोग में है।

11. वाहन—अध्यक्ष और सदस्य, जिन्होंने क्रमशः वेतनमान 17 और 16 का विकल्प लिया है, वह शासकीय यात्राओं के लिए स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होंगे, जो समान वेतनमान में पदधारण करने वाले केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है।

12. चिकित्सा उपचार की सुविधा—अध्यक्ष और सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के, जैसा कि केंद्रीय सरकार के समान रैंक के अधिकारियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में उपबंधित है, हकदार होंगे या जहां स्कीम उपलब्ध नहीं है, अध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियम, 1944 के अधीन चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे।

13. वित्तीय और अन्य हित प्रकटन—अध्यक्ष और सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व केंद्रीय सरकार की समतुल्य पंक्ति के समूह 'क' अधिकारियों के लिए उपबंधित प्ररूपों में अपनी आस्तियों और दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों का प्रकटन करेगा।

14. अवशिष्ट उपबंध—अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तों से संबंधित विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

15. शिथिल करने की शक्ति—जब केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. ए-60011/43/2023-एडीआर]

अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

G.S.R.- 320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 read with sub-section (3) of section 32 of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Mediation Council of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Mediation Act, 2023 (32 of 2023);

(b) “Council” means the Mediation Council of India established under section 31 of the Act;

(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Council appointed on full-time basis under section 32 of the Act;

(d) “Member” means the member of the Council appointed on full-time basis under section 32 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Terms and conditions of service of Chairperson and Members.— (1) The Chairperson or the Member appointed on full-time basis shall not have any financial or other interests as are likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or Member.

(2) The Chairperson and Member shall not accept any private employment before the expiry of a period of one year from the date of demitting the office in the Council, except with the previous sanction of the Central Government.

4. Salary.— (1) The Chairperson shall have an option to receive a pay scale of Rs. 2,25,000 (fixed) (Level-17 of the Pay Matrix) and other allowances and benefits, as are admissible to the Central Government officer holding the post carrying the same pay or in the alternative a consolidated salary of Rs 5,62,500 per month including all allowances.

(2) Every Member shall have an option to opt for the pay scale of Rs. 2,05,400- 2,24,400 (Level-16 of the Pay Matrix) and other allowances and benefits, as are admissible to the Central Government officer holding the post carrying the same pay scale or in the alternative a consolidated salary of Rs 5,00,000 per month including all allowances.

(3) In case a person appointed as Chairperson or Member is in receipt of any pension, the pay or consolidated salary, as the case may be, shall be reduced by the gross amount of his pension.

5. Leave.— (1) The Chairperson or a Member shall be entitled to earned leave for thirty days for every completed year of service.

(2) The Chairperson or a Member shall be entitled for eight days casual leave in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairperson or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the limit prescribed under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

6. Leave sanctioning authority.—The Chairperson shall be the competent authority to sanction leave to a Member and the Central Government shall be the competent authority to sanction leave to the Chairperson.

7. Travelling allowances. - (1) The Chairperson, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Council or on the expiry of his term with the Council proceeds to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same rate as are admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) A Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Council or on the expiry of his term with the Council proceeds to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same rates as are admissible to an officer of equivalent rank of the Central Government.

8. Foreign visit. - The Central Government shall be the sanctioning authority for the foreign visits of the Chairperson and Members.

9. Leave travel concession.— (1) The Chairperson shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates as are admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) A Member shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates as are admissible to an officer of equivalent rank of the Central Government.

10. House rent allowance.— The Chairperson and a Member who have opted to the pay scale of level 17 and 16, respectively, shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to the Central Government officer holding a post carrying the same pay scale:

Provided that such Chairperson or a Member shall not be eligible for house rent allowance in case he is eligible for general pool residential accommodation and occupies the Government accommodation allotted to him.

11. Conveyance.— The Chairperson and a Member who have opted to the pay scale in level 17 and 16 respectively, shall be entitled to the facility of staff car for official journeys as are admissible to an officer of equivalent rank of the Central Government

12. Facility for medical treatment. - The Chairperson and Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are provided in the Central Government Health Scheme to the officers of equivalent rank of the

Central Government or where the Scheme is not available, the Chairperson and Member shall be entitled to the medical treatment and hospital facilities under the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

13. Declaration of financial and other interests.— The Chairperson and Member shall, before entering upon his office, declare his assets and liabilities and financial and other interests in the forms provided for Group 'A' officers of Central Government of equivalent rank.

14. Residuary provisions.— The matters relating to the conditions of service of the Chairperson and a Member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case, to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

15. Power to relax rules.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. A-60011/43/2023-ADR]

AJAY KUMAR ARORA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

सा.का.नि. 321(अ).—केन्द्रीय सरकार, मध्यक्ता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त भारतीय मध्यक्ता परिषद् (अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य, यात्रा तथा अन्य भत्ते) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) जब तक कि इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से मध्यक्ता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 31 के अधीन स्थापित भारतीय मध्यक्ता परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "अंशकालिक अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित परिषद् का अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "अंशकालिक सदस्य" से अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित परिषद् का अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

3. मासिक भत्ता—(1) अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य मासिक भत्ते के रूप में क्रमशः प्रतिमास साठ हजार रुपए और पचास हजार रुपए की समेकित राशि प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु किसी अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य बैठक फीस संदत्त नहीं की जाएगी।

4. यात्रा भत्ता—(1) अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य किसी दौरे के दौरान, जिसके अंतर्गत परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है, क्रमशः परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों को लागू यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(2) अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य द्वारा की गई शासकीय विदेश यात्राएं उन्हीं उपबंधों द्वारा शासित होंगी, जो क्रमशः परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों को लागू होते हैं।

5. अवशिष्ट विषय—अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों की यात्रा और अन्य भत्तों से संबंधित विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किए गए हैं, को परिषद् द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति—जब केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. ए-60011/43/2023-एडीआर]

अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 read with sub-section (4) of section 32 of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mediation Council of India (Travelling and other Allowances for Part-time Chairperson and Part-time Members) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Mediation Act, 2023 (32 of 2023);

(b) “Council” means the Mediation Council of India established under section 31 of the Act;

(c) “Part-time Chairperson” means a Chairperson of the Council appointed on part-time basis as provided under sub-section (2) of section 32 of the Act;

(d) “Part-time Member” means a Member of the Council appointed on part-time basis as provided under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Monthly allowance.— (1) A Part-time Chairperson and a Part-time Member shall be entitled to receive a consolidated sum of sixty thousand rupees per month and fifty thousand rupees per month respectively, as monthly allowance.

Provided that no sitting fee shall be paid to a Part-time Chairperson or a Part-time Member.

4. Travelling allowance.—(1) A Part-time Chairperson and a Part-time Member, while on tour including the journey undertaken to attend a meeting of the Council shall be entitled to travelling allowance and daily allowances as are applicable to a Chairperson and Members of the Council respectively.

(2) The official foreign visits by a Part-time Chairperson and a Part-time Member shall be governed by the same provisions as are applicable to a Chairperson and Member of the Council respectively.

5. Residuary matters.— The matters relating to travelling and other allowances of Part-time Chairperson and Part-time Members, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Council to the Central Government for its decision.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. A-60011/43/2023-ADR]

AJAY KUMAR ARORA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

सा.का.नि. 322(अ).—केन्द्रीय सरकार, मध्यक्ता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 46 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त भारतीय मध्यक्ता परिषद् (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप और रीति) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) जब तक कि इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से मध्यक्ता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) अभिप्रेत है;

(ख) “परिषद्” से अधिनियम की धारा 31 के अधीन स्थापित भारतीय मध्यक्ता परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) “निधि” से अधिनियम की धारा 45 के अधीन अनुरक्षित परिषद् की निधि अभिप्रेत है ;

(घ) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 32 के अधीन नियुक्त परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(च) “वर्ष” से पश्चातवर्ती वर्ष से ठीक पूर्व 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

3. लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण—(1) परिषद् अपने लेखे बनाए रखेगी और अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण, तुलन-पत्र, प्राप्ति और संदाय लेखा तथा आय और व्यय विवरण, जो प्ररूप क, प्ररूप ख और प्ररूप ग में तथा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची। से अनुसूची XXIII में यथा विनिर्दिष्ट है, बनाए रखेगी।

(2) परिषद् के लेखाओं का वार्षिक विवरण, तुलन-पत्र, प्राप्ति और संदाय लेखा तथा आय और व्यय विवरण, को अनुसूची। से अनुसूची XXIII सहित परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(3) परिषद् का अध्यक्ष उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट लेखा विवरणों को वित्तीय वर्ष के अंत से तीन मास के भीतर लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भेजेगा।

(4) परिषद् भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणों और तुलन-पत्र को उन पर प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

4. परिषद् द्वारा व्यय उपगत करना—परिषद् कोई व्यय उपगत या प्राधिकृत करते हुए साधारण वित्तीय नियम, 2017 के उपबंधों का अनुसरण करेगी।

प्ररूप - 'क'

वित्तीय विवरण

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

भारतीय मध्यक्ता परिषद

को तुलन पत्र

(रकम रु. में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	स्थोरा / पूंजी निधि और देनदारियां	I		
1.	स्थोरा / पूंजी निधि	II		
2.	भंडार और अधिशेष	III		

3.	चिह्नित पूर्त निधियां	IV		
4.	प्रत्याभूत ऋण और उधार	V		
5.	अप्रत्याभूत ऋण और उधार	V		
6.	आस्थगित प्रत्यय देनदारियां	VI		
7.	चालू दायित्व और उपबंध	VII		
	योग			
	आस्तियां			
8.	नियत आस्तियां	VIII		
9.	-से विनिधान चिह्नित पूर्त निधियां	IX		
10.	विनिधान-अन्य	X		
11.	चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम			
12.	प्रकीर्ण व्यय (उस सीमा तक जो बट्टे-खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)			
	योग			
13.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XXII		
14.	आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIII		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय मध्यक्ता परिषद

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
भारतीय मध्यक्ता परिषद

अध्यक्ष
भारतीय मध्यक्ता परिषद

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

प्ररूप 'ख'

वर्ष का आय और व्यय लेखा
[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय			
1.	अनुदान/सहायकियां	XII		
2.	फीस/अंशदान	XIII		
3.	विनिधान से आय (विनिधान पर चिह्नित/पूर्त निधियां, जो निधियों को अंतरित कर दी गई है, से आय)	XIV		
4.	स्वामिस्व, प्रकाशनों आदि से आय।	XV		
5.	अर्जित ब्याज	XVI		
6.	अन्य आय	XVII		
	योग (क)			
	व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष

7.	स्थापन व्यय	XVIII		
8.	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।	XIX		
9.	अनुदानों, सहायकियों आदि पर व्यय	XX		
10.	ब्याज	XXI		
11.	"अवक्षयण (अनुसूची VIII के अनुरूप वर्ष के अंत में कुल योग)	XXII		
	योग (ख)			
12.	व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख) विशेष आरक्षित निधि को अंतरण (प्रत्येक विनिर्दिष्ट करें) सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण			
13.	शेष, जो अधिशेष है) जिसे स्थोरा/पूजी निधि में अग्रणीत किया जाता है			
14.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XXII		
15.	आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	XXIII		

प्रारूप 'ग'

वर्ष का प्राप्ति और संदाय लेखा

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	संदाय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I. अतिशेष			I. व्यय		
2.	(क) हाथ में नकद			(क) स्थापना व्यय		
3.	(ख) बैंक शेष			(ख) प्रशासनिक व्यय		
4.	(i) चालू खाते में					
5.	(ii) जमा खाते में					
6.	(iii) बचत खाता					
7.	II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया संदाय (निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए संदाय की विशिष्टियां के साथ निधि या परियोजना के नाम को दर्शित किया जाना चाहिए)		
8.	(क) भारत सरकार से					
9.	(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान पृथक् रूप से दर्शित किए जाने हैं)					
10.	III. से निवेश पर आय			III. किए गए निवेश और		

				जमा		
11.	(क) चिह्नित /पूर्त निधियां			(क) चिह्नित /पूर्त निधियों में से		
12.	(ख) स्वयं की निधियां (विनिधान - अन्य)			(ख) स्वयं की निधियों में से (विनिधान - अन्य)		
13.	IV. प्राप्त ब्याज			IV. नियत आस्तियों एवं चालू पूंजी कार्य पर व्यय		
14.	(i) बैंक जमा पर			(क) नियत आस्तियों का क्रय		
15.	(ii) ऋण, अग्रिम आदि			(ख) चालू पूंजी कार्य पर व्यय		
16.	V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			V. अधिक्त्य धनराशि / उधारों का प्रतिदाय		
				(क) भारत सरकार को		
				(ख) धन के अन्य प्रदाताओं के लिए		
17.	VI. उधार ली गई रकम			VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
18.	VII. अतिशेष (ब्यौरे दें)			VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
				VIII. अतिशेष		
				क) हाथ में नकद		
				ख) बैंक शेष		
				(i) चालू खातों में		
				(ii) जमा खातों में		
				(iii) बचत खाते		
	योग			योग		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय मध्यक्ता परिषद

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
भारतीय मध्यक्ता परिषद

अध्यक्ष
भारतीय मध्यक्ता परिषद

स्थान :

नई दिल्ली

अनुसूची - I

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	स्थोरा/पूंजी निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वर्ष के प्रारंभ में शेष रकम		
2.	जोड़ें : निधि में योगदान		

3.	जोड़े/(घटाएं) : आय और व्यय लेखे में से अंतरित आय/(व्यय) का शेष				
	वर्ष के अंत में शेष				

अनुसूची - II

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	आरक्षितिया और अधिक्क	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	पूंजी आरक्षिती (क) पिछले लेखे के अनुसार (ख) वर्ष के दौरान वर्धन (ग) घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
2.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती (क) पिछले लेखे के अनुसार (ख) वर्ष के दौरान वर्धन (ग) घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
3.	विशेष आरक्षितियां (क) पिछले लेखे के अनुसार (ख) वर्ष के दौरान वर्धन (ग) घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
4.	साधारण आरक्षिती (क) पिछले लेखे के अनुसार (ख) वर्ष के दौरान वर्धन (ग) घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
	योग				

अनुसूची - III

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्र.सं.	चिह्नित/पूर्त निधियां	निधिवार ब्रेकअप				योग	
		निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्सएक्स	निधि वाईवाई	निधि जेडजेड	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	(क) निधियों का अतिशेष						
	(ख) निधियों में वर्धन :						
	(i) संदान/अनुदान						

	(ii) निधियों में किए गए विनिधान से आय						
	(iii) अन्य वर्धन (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)						
	योग (क + ख)						
2.	(ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए किया गया उपयोजन/व्यय						
	(i) पूंजी व्यय						
	- नियत आस्तियां						
	-अन्य						
	योग						
	(ii) राजस्व व्यय						
	- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।						
	-किराया						
	- अन्य प्रशासनिक व्यय						
	योग						
	योग (ग)						
3.	वर्ष के अंत में कुल शेष (क + ख - ग)						

प्रकटीकरण अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के तहत किया जाएगा।

अनुसूची - IV

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	प्रत्याभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय सरकार		
2.	वित्तीय संस्थाएं		
	(क) आवधिक ऋण		
	(ख) उद्भूत ब्याज और देय		
3.	बैंक		
	(क) उद्भूत आवधिक ऋण ब्याज		
	(ख) आवधिक ऋण ब्याज शोध्य		
	(ग) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) - उद्भूत ब्याज		
	(घ) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) - शोध्य ब्याज		
4.	अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
5.	डिबेंचर और बंधपत्र		
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकम			

अनुसूची - V
[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	अप्रत्याभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय सरकार		
2.	वित्तीय संस्थाएं		
3.	बैंक		
	(क) आवधिक ऋण		
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
4.	अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
5.	डिबेंचर और बंधपत्र		
6.	नियत जमा		
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकम			

अनुसूची - VI
[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	अस्थगित प्रत्यय दायित्व	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूँजी उपस्कर और अन्य आस्तियों के आडमन द्वारा प्रत्याभूत स्वीकृतियां		
2.	अन्य		
	योग		
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकम			

अनुसूची - VII
[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	चालू देनदारियां और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	क. चालू देनदारियां		
1.	स्वीकृतियां		
2.	विविध लेनदार :-		
	(क) माल के लिए		
	(ख) अन्य		
3.	प्राप्त अग्रिम		
4.	उद्भूत ब्याज किंतु जो शोध्य नहीं है :		

	सुपर स्ट्रक्चर											
6.	संयंत्र एवं उपस्कर											
7.	वाहन											
8.	फर्नीचर एवं सज्जा											
9.	कार्यालय उपस्कर											
10.	कंप्यूटर/साधित्र											
11.	वैद्युत प्रतिष्ठापन											
12.	पुस्तकालय पुस्तकें											
13.	नलकूप एवं जलआपूर्ति											
14.	अन्य नियत आस्तियां											
15.	चालू वर्ष का योग											
16.	पूर्व वर्ष का योग											
17.	ख. चालू पूंजी कार्य											
	योग											

टिप्पण - अवक्रय आधार पर सम्मिलित की गई आस्तियों की लागत को ऊपर दिया जाना है।

अनुसूची - IX
[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	चिह्नित / पूर्त निधियों से विनिधान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शासकीय प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बंधपत्र		
5.	अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
	योग		

अनुसूची - X
[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	निवेश - अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शासकीय प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बंधपत्र		
5.	अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
	योग		

अनुसूची - XI
[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
एक	चालू आस्तियां :		
1.	ऋण :		
	(क) छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
	(ख) अन्य		
2.	हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रिम सहित)		
3.	बैंक शेष :		
	(क) अनुसूचित बैंकों के साथ :		
	(i) चालू खातों में		
	(ii) जमा खातों में		
	(iii) बचत खातों में		
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ :		
	(i) चालू खातों में		
	(ii) जमा खातों में		
	(iii) बचत खातों में		
4.	डाकघर - बचत खाता		
5.	माल सूचियां (लेखन सामग्री, भंडार आदि सम्मिलित हो सकेंगे)		
	योग (क)		
	ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
6.	निम्नलिखित को ऋण :		
	(क) कर्मचारिवृंद		
	(ख) अस्तित्व के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे हुए अन्य अस्तित्व		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
7.	नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त किए जा सकने वाले मूल्य के लिए अग्रिम और अन्य राशि :		
	(क) पूँजी खाते में		
	(ख) पूर्व संदाय		
	(ग) अन्य		
8.	उद्भूत आय		

	(क) चिह्नित/पूर्त निधि से विनिधान पर				
	(ख) विनिधान पर - अन्य				
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर				
9.	अन्य (..... रु. की वसूल न की गई आय शामिल है)				
10.	प्राप्य दावे				
	योग (ख)				
	योग (क+ख)				

अनुसूची - XII

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	अनुदान/सहायकियां (अप्रतिसंहनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायकियां)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय सरकार		
2.	शासकीय अभिकरण		
3.	संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
4.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची - XIII

(नियम 3 का उपनियम (1) देखें)

(रकम रु. में)

क्र.सं.	फीस	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रवेश फीस		
2.	फाइलिंग फीस		
3.	सेमिनार/कार्यक्रम फीस		
4.	परामर्श फीस		
5.	वार्षिक फीस		
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

टिप्पण - प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया जाना है

अनुसूची – XIV
[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	विनिधान से आय (निधियों को अंतरित चिह्नित/पूर्त निधियों से विनिधान पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ब्याज				
	(क) शासकीय प्रतिभूतियां				
	(ख) अन्य बंधपत्र/डिबेंचर				
2.	लाभांश				
	(क) शेयरों पर				
	(ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3.	किराया				
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				

अनुसूची XV
[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	स्वामिस्व, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्वामित्व से आय		
2.	प्रकाशनों से आय		
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची XVI
[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	उद्भूत ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवधिक जमा पर		
	(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	(ग) संस्थाओं के साथ		
	(घ) अन्य		
2.	बचत खाते पर		
	(क) अनुसूचित बैंक के साथ		
	(घ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		

	(ग) डाकघर बचत खाता		
	(घ) अन्य		
3.	ऋण पर		
	(क) कर्मचारी/कर्मचारिवृंद		
	(ख) अन्य		
4.	देनदारियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
	योग		

नोट - स्रोत पर कटौती किए गए दर को उपदर्शित किया जाएगा

अनुसूची - XVII

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आस्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ		
	(क) स्वामित्व में आस्तियां		
	(ख) अनुदानों से अर्जित या बिना किसी लागत के अर्जित आस्तियां		
2.	प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस		
3.	प्रकीर्ण आय		
	योग		

अनुसूची XVIII

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
क)	वेतन और पारिश्रमिक		
ख)	भत्ते और बोनस		
ग)	भविष्य निधि में योगदान		
घ)	अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ङ)	कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		
च)	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय		
छ)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची XIX

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	क्रय		
(ख)	श्रम और प्रोसेसिंग व्यय		

(ग)	कार्टेज और कैरिज इनवर्ड		
(घ)	विद्युत और वैद्युत		
(ङ)	जल प्रभार		
(च)	बीमा		
(छ)	मरम्मत और रखरखाव		
(ज)	किराया, दर और कर		
(झ)	वाहन चलाने, रखरखाव या किराए पर लेने का प्रभार		
(ञ)	डाक व्यय, टेलीफोन और संचार प्रभार		
(ट)	मुद्रण और लेखन सामग्री		
(ठ)	यात्रा और वाहन व्यय		
(ड)	सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय		
(ढ)	सदस्यता व्यय		
(ण)	फीस व्यय		
(त)	लेखा परीक्षकों पारिश्रमिक /विधिक फीस		
(थ)	आतिथ्य व्यय		
(द)	व्यावसायिक प्रभार		
(ध)	अशोध्य और संदेहास्पद ऋण/अग्रिम के लिए उपबंध		
(न)	बट्टे खाते में डाला गया अप्रतिसंहनीय शेष		
(प)	पैकिंग प्रभार		
(फ)	माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय		
(ब)	वितरण व्यय		
(भ)	विज्ञापन और प्रचार		
(म)	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
	योग		

अनुसूची XX

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	अनुदानों/सहायकियों आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
(ख)	संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सहायकी		
	योग		

टिप्पण - संस्थाओं के नाम, अनुदान/सहायकी की रकम सहित उनके कार्यकलापों का प्रकटन किया जाना है।

अनुसूची XXI

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

(रकम रु. में)

क्र.सं.	व्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियत ऋण पर		
2.	अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)		
3.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची - XXII

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन अभिसमय**—वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय जब तक कि अन्यथा कथन न किया गया हो और लेखांकन की उद्भूत विधि के आधार पर तैयार किया जाता है।
2. **विनिधान**—(1) विनिधान, जिन्हें “दीर्घ अवधि विनिधान” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को लागत पर किया जाता है और अस्थायी से भिन्न कमी के लिए ऐसे विनिधानों को चलाने की लागत के आधार पर किया जाता है।
(2) विनिधान, जिन्हें “चालू” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, को निम्नतर लागत पर चलाया जाता है तथा ऐसे विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए प्रत्येक विनिधान में किए गए उपबंध पर व्यष्टिक रूप से न कि सार्वभौमिकता के आधार पर विचार किया जाता है।
(3) लागत के अंतर्गत दलाली, अंतरण स्टैंप जैसे अर्जन व्यय सम्मिलित हैं।
3. **नियत आस्तियां** - नियत आस्तियों का कथन अर्जन की लागत पर किया जाता है जिसके अंतर्गत इन वार्ड मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं, जो अर्जन से संबंधित होते हैं। ऐसी परियोजनाओं के संबंध में, जिनमें संनिर्माण अंतर्वलित है, संबंधित प्रचालन पूर्व व्यय (जिसके अंतर्गत पूरा होने से पूर्व विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण पर व्याज सम्मिलित है,) पूंजीकृत आस्ति के मूल्य का भाग बनता है।
(2) गैर धनीय अनुदानों के माध्यम से प्राप्त नियत आस्तियों (स्थोरा निधि के लिए से भिन्न अन्य) को कथित मूल्य पर पूंजी आरक्षिती में तत्स्थानी प्रत्यय द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।
4. **अवक्षयण** - (1) अवक्षयण का उपबंध आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सिवाय नियत आस्तियों के अर्जन पर विदेशी मुद्रा दायित्व के संपरिवर्तन के मध्य उद्भूत समायोजन लागत के, जिसका अपाकरण संबंधित आस्ति के शेष जीवन पर किया जाता है, अवलिखित मूल्य पर किया जाता है।
(2) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में वर्धन/कटौती के लिए अवक्षयण पर समानुपाती आधार पर विचार किया जाता है।
(3) पांच हजार रुपए या कम की प्रत्येक आस्ति के लिए पूर्णतया उपबंध किया जाता है।
5. **प्रकीर्ण व्यय** - अस्थगित राजस्व व्यय को उस वर्ष से, जिसमें वह उपगत किया जाता है, से पांच वर्ष की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाला जाता है।
6. **विक्रय का लेखा** - विक्रय, जिसके अंतर्गत उत्पाद शुल्क, विक्रय से प्राप्ति, छूट और व्यापार छूट सम्मिलित है।
7. **शासकीय अनुदान/सहायकियां** - (1) परियोजना स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में सहयोग की प्रकृति के शासकीय अनुदानों को पूंजी आरक्षिती माना जाता है।
(2) अर्जित विशिष्ट नियत आस्तियों के संबंध में अनुदानों को संबंधित आस्तियों की लागत से कटौती के रूप में उपदर्शित किया जाता है।
(3) शासकीय अनुदानों/सहायकियों की गणना वसूली के आधार पर की जाती है।
8. **विदेशी मुद्रा संव्यवहार** - (1) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों की गणना संव्यवहार की तारीख को प्रचलित दरों पर की जाती है।
(2) चालू आस्तियां, विदेशी मुद्रा रिक्त और चालू दायित्वों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर संपरिवर्तित किया जाता है यदि विदेशी मुद्रा दायित्व, नियत आस्तियों से संबंध में हैं और पारिणामिक फायदे या नुकसान का नियत आस्तियों की लागत में समायोजन किया जाता है, और अन्य मामलों में इसे राजस्व माना जाता है।
9. **पट्टा** - पट्टा किराए को पट्टा निबंधनों के अनुसार व्यय में डाला जाता है।
10. **सेवानिवृत्ति फायदे** - कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान के मद्दे उपगत व्यय का मूल्यांकन वास्तविक के आधार पर किया जाता है।

(2) संचित छुट्टी नकदीकरण के कर्मचारियों को फायदे के लिए उपबंध उदभूत किया जाता है और उसकी संगणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में फायदा प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

अनुसूची - XXIII

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक दायित्व -

(1) अस्तित्व के विरुद्ध दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभिस्वीकृति नहीं दी गई हैरु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

(2) निम्नलिखित के संबंध में :-

- अस्तित्व द्वारा/ उसके निमित्त दी गई बैंक प्रतिभूतियांरु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

- अस्तित्व के निमित्त बैंक द्वारा खोला गया साखपत्ररु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

- बैंक के पास मितिकाटे पर बीजकरु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

(3) निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगे

आय-कररु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

माल और सेवा कररु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

नगरपालिका कररु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

(4) पक्षकारों से आदेशों, जिनको अस्तित्व द्वारा प्रश्नगत किया गया है, का पालन न करने के संबंध में दावों की बाबतरु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी के मध्य निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित लागत और जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है (अग्रिमों को छोड़कर)रु. (पूर्व वर्ष.....रु.)

3. पट्टा बाध्यताएं -

संयंत्र और मशीनरी के प्रबंध के लिए वित्तीय पट्टे के अधीन किराए की भावी बाध्यताएंरु. (पूर्व वर्ष.....रु.) होती हैं

4. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के मत में चालू आस्तियां, ऋणों और अग्रिम का कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली पर मूल्य कम से कम तुलनपत्र में उपदर्शित समग्र रकम के बराबर होता है।

5. कराधन

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन किसी करादेय आय के न होने को ध्यान में रखते हुए आय-कर के लिए कोई उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(1) लागत, बीमा और मालभाड़ा आधार पर संगणित आयात का मूल्य :

(क) तैयार मालों का क्रय

(ख) कच्ची सामग्रियां एवं संघटक (परिवहन में सम्मिलित सहित)

(ग) पूंजीमाल

(घ) भंडार, अतिरिक्त और उपभोज्य

(2) विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क) यात्रा

(ख) वित्तीय संस्थों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज संदाय

(ग) अन्य व्यय

(i) विक्रय पर कमीशन

(ii) विधिक और व्यवसायिक प्रभार

(iii) प्रकीर्ण व्यय

(3) प्राप्तियां

(4) लेख परीक्षकों का पारिश्रमिक : लेखा परीक्षकों के रूप में

(क) कर मामले

(ख) प्रबंधन सेवाओं के लिए

(ग) प्रमाण के लिए

(घ) अन्य

7. पूर्व वर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों का पुनः समूहीकरण /पुनः व्यवस्था की जाएगी, जब भी आवश्यक हों।

8.की स्थिति के अनुसार अनुसूची I से अनुसूची XXIII को तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त आय और व्यय लेखा को उसके साथ उपाबद्ध किया गया है और वह उसका अभिन्न भाग है।

[फा.सं. ए-60011/43/2023-एडीआर]

अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 read with sub-section (1) of section 46 of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Mediation Council of India (Forms and Manner of Annual Statement of Accounts) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Mediation Act, 2023;

(b) “Council” means the Mediation Council of India established under sub-section (1) of section 31 of the Act;

(c) “Fund” means the Fund of the Council to be maintained under section 45 of the Act;

(d) “Members” means the members of the Council appointed under section 32 of the Act;

(e) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(f) “Year” means a financial year beginning on 1st day of April and ending on 31st day of March of the immediately following year.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Maintenance of accounts and records.— (1) The Council shall maintain its accounts and prepare its annual statement of accounts, balance sheet, receipt and payment account and income and expenditure statement in the Forms of financial statements as specified in Forms A, B and C and Schedules I to XXIII annexed to these rules.

(2) The annual statement of accounts, balance sheet, receipt and payment account and income and expenditure statement of the Council along with the Schedules I to XXIII shall be authenticated by the Chief Executive Officer of the Council or the Chairperson of the Council.

(3) The Chairperson of the Council shall forward the accounts statements as specified in sub-rule (2) to the Comptroller and Auditor General of India, for the purposes of audit, within three months of the end of the financial year.

(4) The Council shall forward the duly audited annual statement of accounts and balance sheet of the Council as certified by the Comptroller and Auditor General of India along with the audit report thereon for every year to the Central Government for laying before both the Houses of Parliament.

4. Incurring of expenditure by the Council.— The Council shall follow the provisions of General Financial Rules, 2017 while incurring or authorising any expenditure.

Form – ‘A’

FINANCIAL STATEMENT

[see sub rule (1) of rule 3]

Mediation Council of India

Balance Sheet as at _____

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Description	Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
1.	Corpus/Capital Fund	I		
2.	Reserves and Surplus	II		
3.	Earmarked/Endowment Funds	III		
4.	Secured Loans and Borrowings	IV		
5.	Unsecured Loans and Borrowings	V		
6.	Deferred Credit Liabilities	VI		
7.	Current Liabilities and Provisions	VII		
	TOTAL			
	ASSETS			
8.	Fixed Assets	VIII		
9.	Investments - From Earmarked/Endowment Funds	IX		
10.	Investments - Others	X		
11.	Current Assets, Loans and Advances	XI		
12.	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted)			
	TOTAL			

13.	Significant Accounting Policies	XXII		
14.	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		
Chief Executive Office Mediation Council of India		Chairperson Audit Committee Mediation Council of India	Chairperson Mediation Council of India	

Place: New Delhi.

Date:

Form 'B'

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR

[see sub-rule (1) of rule 3]

Sl. No.	Description	Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	INCOME			
1.	Grants/Subsidies	XII		
2.	Fees/Subscriptions	XIII		
3.	Income from Investments (Income on investment, from earmarked/endowment funds transferred to funds)	XIV		
4.	Income from Royalty, Publications etc.	XV		
5.	Interest Earned	XVI		
6.	Other Income	XVII		
	TOTAL(A)			
	EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
7.	Establishment Expenses	XVIII		
8.	Other administrative expenses etc.	XIX		
9.	Expenditure on grants, subsidies etc.	XX		
10.	Interest	XXI		
11.	Depreciation (Net total at the year end corresponding to Schedule VIII)	XXII		
	TOTAL (B)			
12.	Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) transfer to/from General Reserve			
13.	Balance being surplus (Deficit) carried to corpus/capital fund			
14.	Significant accounting policies	XXII		
15.	Contingent liabilities and notes on accounts	XXIII		

Chief Executive Office
Mediation Council of India

Chairperson Audit Committee
Mediation Council of India

Chairperson
Mediation Council of India

Place: New Delhi.

Date:

Form 'C'

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS FOR THE YEAR

[see sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I. Opening balances			I. Expenses		
2.	(a) Cash in hand			(a) Establishment expenses		
3.	(b) Bank balance			(b) Administrative Expenses		
4.	(i) In Current Account					
5.	(ii) In Deposit Account					
6.	(iii) Saving Account					
7.	II. Grants received			II. Payment made against funds for various Projects		
8.	(a) From Government of India			(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payment made for each project)		
9.	(b) From Other Sources (Details) (Grants for Capital and Revenue Expenditure to be shown separately)					
10.	III. Income on investment from			III. Investments and Deposits Made		
11.	(a) Earmarked / Endowment funds			(a) Out of Earmarked /Endowment funds		
12.	(b) Own funds (Investment - others)			(b) Out of own funds (Investment - others)		
13.	IV. Interest received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
14.	(i) On bank deposits			(a) Purchase of fixed Assets		
15.	(ii) Loans, advances etc.			(b) Expenditure on capital Work-in-progress		
16.	V. Other income (Specify)			V. Refund of surplus money/loans		
				(a) To the Government		

				of India		
				(b) To other providers of funds		
17.	VI. Amount borrowed			VI. Finance charges (Interest)		
18.	VII. Any other receipts (give details)			VII. Other payments (Specify)		
				VIII. Closing balances		
				a) Cash in hand		
				b) Bank balances		
				(i) In current Accounts		
				(ii) In Deposit Accounts		
				(iii) Savings Accounts		
	TOTAL			TOTAL		

Chief Executive Office
Mediation Council of India

Chairperson Audit Committee
Mediation Council of India

Chairperson
Mediation Council of India

Place: New Delhi.

Date:

SCHEDULE - I

[see sub rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Corpus/Capital Fund	Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Balance amount as at the beginning of the year				
2.	Add: Contributions towards fund				
3.	Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
	Balance as at the year end				

SCHEDULE – II

[see sub rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Reserves and Surplus	Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Capital Reserve				
	(a) As per last Account				

	(b) Addition during the year (c) Less: Deductions during the year				
2.	Revaluation Reserve (a) As per last Account (b) Addition during the year (c) Less: Deductions during the year				
3.	Special Reserves (a) As per last Account (b) Addition during the year (c) Less: Deductions during the year				
4.	General Reserve (a) As per last Account (b) Addition during the year (c) Less: Deductions during the year				
	TOTAL				

SCHEDULE – III

[see sub rule (1) of rule 3]

Sl. No.	Earmarked/Endowment Funds	Fund Wise Break up				Totals	
		Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	(a) Opening balance of the funds						
	(b) Additions to the Funds:						
	(i) Donations/grants						
	(ii) Income from investments made on account of funds						
	(iii) Other additions (specify nature)						
	TOTAL (a + b)						
2.	(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
	(i) Capital Expenditure						
	- Fixed Assets						
	- Others						
	Total						
	(ii) Revenue Expenditure						
	- Salaries, Wages and allowances etc.						
	- Rent						
	- Other Administrative Expenses						
	Total						
	TOTAL (c)						
3.	Net balance as at the year end (a + b - c)						

Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

SCHEDULE – IV

[see sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Secured Loans and Borrowings	Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Central Government				
2.	Financial institutions				
	(a) Terms loans				
	(b) Interest accrued and due				
3.	Banks				
	(a) Term loans Interest accrued				
	(b) Term loans Interest due				
	(c) Other loans (specify) – Interest accrued				
	(d) Other loans (specify) – Interest due				
4.	Other institutions and agencies				
5.	Debentures and bonds				
6.	Others (Specify)				
	TOTAL				
Note: Amounts due within one year					

SCHEDULE – V

[see sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Unsecured Loans and Borrowings	Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Central Government				
2.	Financial institutions				
3.	Banks				
	(a) Term loans				
	(b) Other loans (specify)				
4.	Other institutions and agencies				
5.	Debentures and bonds				
6.	Fixed Deposits				
7.	Others (Specify)				
	TOTAL				
Note: Amounts due within one year					

SCHEDULE – VI

[see sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Deferred Credit Liabilities	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
2.	Others		
	TOTAL		
	Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE – VII

[see sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Current Liabilities and Provisions	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
	A. CURRENT LIABILITIES		
1.	Acceptances		
2.	Sundry creditors:-		
	(a). For goods		
	(b). Others		
3.	Advances received		
4.	Interest accrued but not due on:		
	(a) Secured loans/borrowings		
	(b) Unsecured loans/borrowings		
5.	Statutory liabilities:		
	(a) Overdue		
	(b) Others		
6.	Unutilised Grant		
7.	Other Current Liabilities*		
	TOTAL (A)		
	B. PROVISIONS		
8.	For taxation		
9.	Gratuity		
10.	Superannuation/Pension		
11.	Accumulated leave encashment		
12.	Trade Warranties/claims		
13.	Others (Specify)		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A +B)		

Note: Cost of assets on hire purchase basis included above.

* Bifurcation under this head may be made by the Mediation Council of India as and when necessitated.

SCHEDULE – VIII

[see sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Fixed Assets Description	Gross Block				Depreciation for the year				Net Block	
		Cost at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions/adjustments during the year	Cost at the year end	As at the beginning of the year	During the year	Deductions/adjustments during the year	Total up to the year end	As at the current year end	As at the previous year end
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	A. fixed Assets										
2.	Land										
3.	(a) Freehold										
	(b) Leasehold										
4.	Buildings										
5.	(a) On Freehold Land										
	(b) On Leasehold Land										
	(c) Ownership Flat/ Premises										
	(d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
6.	Plant Machinery & Equipment										
7.	Vehicles										
8.	Furniture & Fixture										
9.	Office Equipment										
10.	Computers/ Peripherals										
11.	Electrical Installations										
12.	Library Books										
13.	Tube wells & Water Supply										
14.	Other Fixed Assets										
15.	Total of Current year										
16.	Total of previous year										
17.	B. Capital work in progress										
	TOTAL										

Note: To be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

SCHEDULE – IX

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Investments from Earmarked/Endowment Funds	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	In government securities		
2.	Other approved securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and bonds		
5.	Subsidiaries and joint ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE – X

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Investments – Others	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	In government securities		
2.	Other approved securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and bonds		
5.	Subsidiaries and joint ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XI

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. NO.	Current Assets, Loans, Advances etc.	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Current Assets:		
1.	Debts:		
	(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
	(b) Others		
2.	Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)		
3.	Bank Balances:		
	(a) With Scheduled Banks:		
	(i) In current accounts		
	(ii) In deposit accounts		

	(iii) In savings accounts				
	(b) With Non-Scheduled Banks:				
	(i) In current accounts				
	(ii) In deposit accounts				
	(iii) In savings accounts				
4.	Post Office - Savings Accounts				
5.	Inventories (may include Stationery, Stores etc.)				
	TOTAL (A)				
B	Loans, Advances and Other Assets				
6.	Loans to:				
	(a) Staff				
	(b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the entity				
	(c) Other (specify)				
7.	Advances and other amount recoverable in cash or in kind or for value to be received:				
	(a) On capital account				
	(b) Prepayments				
	(c) Others				
8.	Income Accrued				
	(a) On investments from Earmarked/ Endowment fund				
	(b) On investment - others				
	(c) On loans and advances				
9.	Others (includes income due unrealized Rs.)				
10.	Claims Receivable				
	TOTAL (B)				
	TOTAL (A+ B)				

SCHEDULE – XII

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Grants/Subsidies (Irrevocable Grants & Subsidies Received)	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Central Government		
2.	Government agencies		
3.	Institutions/ welfare bodies		
4.	International organisations		
5.	Others (Specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XIII

(See sub-rule(1) of rule 3)

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Fees	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Entrance fees		
2.	Filing fees		
3.	Seminar/ program fees		
4.	Consultancy fees		
5.	Annual fees		
6.	Others (Specify)		
	TOTAL		

Note - Accounting Policies towards each item are to be disclosed

SCHEDULE – XIV

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Income from investments (Income on Investment from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Interest				
	a) On Government securities				
	b) Other bonds/ debentures				
2.	Dividends				
	a) On shares				
	b) On mutual fund securities				
3.	Rents				
4.	Others (Specify)				
	TOTAL				

SCHEDULE XV

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. NO.	Income from royalty, publication etc.	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Income from royalty		
2.	Income from publications		
3.	Others (Specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE XVI

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Interest earned	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	On term deposits		
	(a) With scheduled banks		
	(b) With non - scheduled banks		
	(c) With institutions		
	(d) Others		
2.	On Saving Account		
	(a) With Scheduled Bank		
	(b) With non - scheduled banks		
	(c) Post Office savings Accounts		
	(d) Others		
3.	On Loans		
	(a) Employees/Staff		
	(b) Others		
4.	Interest on debtors and other receivables		
	TOTAL		

Note - Tax deducted at source to be indicated

SCHEDULE - XVII

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Other Income	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Profit on sale/disposal of assets		
	(a) Owned assets		
	(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2.	Fees for miscellaneous services		
3.	Miscellaneous income		
	TOTAL		

SCHEDULE XVIII

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Establishment expenses	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
a)	Salaries and wages		

b)	Allowances and bonus		
c)	Contribution to provident fund		
d)	Contribution to other fund (specify)		
e)	Staff welfare expenses		
f)	Expenses on employees' retirement and terminal benefits		
g)	Others (Specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE XIX

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Other administrative expenses	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
(a)	Purchases		
(b)	Labour and processing expenses		
(c)	Cartage and Carriage Inwards		
(d)	Electricity and power		
(e)	Water charges		
(f)	Insurance		
(g)	Repairs and maintenance		
(h)	Rent, rates and taxes		
(i)	Vehicles running, maintenance or hiring charges		
(j)	Postage, telephone and communication charges		
(k)	Printing and stationery		
(l)	Travelling and conveyance expenses		
(m)	Expenses on seminar/ workshops		
(n)	Subscription expenses		
(o)	Expenses of fee		
(p)	Auditors remuneration/ legal fee		
(q)	Hospitality expenses		
(r)	Professional charges		
(s)	Provision for bad and doubtful debts/ advance		
(t)	Irrecoverable balances written -off		
(u)	Packing charges		
(v)	Freight and forwarding expenses		
(w)	Distribution expenses		
(x)	Advertisement and publicity		
(y)	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE XX

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Expenditure on grants, subsidies etc.	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
(a)	Grants given to institutions/ organisations		
(b)	Subsidies given to institutions/ organisations		
	TOTAL		

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE XXI

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Interest	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	On fixed loans		
2.	On other loans (including Bank Charges)		
3.	Others (specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XXII

[See sub-rule (1) of rule 3]

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting convention The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. Investments (1) Investments classified as "long term investments" are carried at cost and provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

(2) Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value and provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

(3) Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. Fixed assets (1) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

(2) Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. Depreciation (1) Depreciation is provided on written down value as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

(2) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

(3) Assets consisting Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. Miscellaneous expenditure Deferred revenue expenditure is written off over a period of five years from the year it is incurred.

6. Accounting for sales Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. Government grants/subsidies (1) Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

(2) Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

(3) Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

8. Foreign currency transactions (1) Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

(2) Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain or loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. Lease Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. Retirement benefits (1) Liability towards gratuity payable on death or retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

(2) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE – XXIII

[See sub-rule (1) of rule 3]

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

(1) Claims against the entity not acknowledged as debts - Rs. _____ (Previous year Rs. _____)

(2) In respect of:-

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. _____(Previous year Rs. _____).

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. _____(Previous year Rs. _____).

- Bills discounted with banks Rs. _____(Previous year Rs. _____).

(3) Disputed demands in respect of:

Income-tax Rs. _____(Previous Year Rs. _____)

Goods and Services Tax Rs. _____(Previous Year Rs. _____)

Municipal Taxes Rs. _____(Previous Year Rs. _____)

(4) In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs. _____(Previous year Rs. _____).

2. Capital Commitments

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. _____(Previous year Rs. _____).

3. Lease Obligations

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. _____(Previous Year Rs. _____).

4. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. Taxation

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961 (43 of 1961), no provision for Income tax has been considered necessary.

6. Foreign Currency Transactions

(1) Value of Imports calculated on Cost, Insurance & Freight basis:

(a) Purchase of finished goods

(b) Raw materials & components (Including in transit)

- (c) Capital goods
 - (d) Stores, spares and consumables
- (2) Expenditure in foreign currency:
- (a) Travel
 - (b) Remittances and interest payment to financial institutions/ banks in foreign currency
 - (c) Other expenditure:
 - (i) Commission on sales
 - (ii) Legal and professional expenses
 - (iii) Miscellaneous expenses
- (3) Earnings:
- (4) Remuneration to auditors: As auditors:
- (a) Taxation matters
 - (b) For management services
 - (c) For certification
 - (d) Others
7. Corresponding figures for the previous year have to be regrouped/ rearranged, wherever necessary.
8. Schedules I to XXIII are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

[F.No. A-60011/43/2023-ADR]

AJAY KUMAR ARORA, Jt. Secy.